(33) (43)

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**
**समक्ष : मनोज गोयल,**
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 301–एक/2008, विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2007 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 112/2005–06/अपील

........

1– अरूण कुमार
2– दिनेश कुमार मृतक के वारिसान
 1. पप्पीदेवी पत्नी स्व0 दिनेश
 2. शुभम
 3. सत्यम दोनों नाबालिग पुत्र स्व0 दिनेश
 सरपरस्त मॉ पप्पी देवी
3– बलवीर
4– रामनिवास
5– ऋषभ कुमार, 1 लगायत 5 पुत्रगण रामस्वरूप तिवारी
निवासीगण ग्राम रौनीजा तहसील व जिला
झांसी (उ0प्र0 हाल निवासी ग्राम पिपरौआकलां तहसील
भाण्डेर, जिला दतिया, म0प्र0)

...................... आवेदकगण

विरूद्ध

1– बृजकिशोर पुत्र रामसेवक पचौरी
2– अनिल कुमार पुत्र रामसेवक पचौरी
निवासीगण बासुदेव मोहल्ला म0न0 8
बड़ा बाजार झांसी तह0 व जिला झांसी (उ0प्र0)

.................. अनावेदकगण

............

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री लखनसिंह धाकड़ एवं श्री एस0पी0 धाकड़ अभिभाषक, अनावेदकगण

.............

# :: आ दे श ::

( आज दिनांक 18/4/13 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसील भाण्डेर के ग्राम पिपरौआकलां में स्थिति विवादित भूमि कुल किता 27 कुल रकबा 12.133 हैक्टेयर भाग 516 में से 112 भाग की अभिलिखित भूमिस्वामिनी सरजूबाई पत्नी सालिगराम है । अभिलिखित भूमिस्वामिनी सरजूबाई की मृत्यु हो जाने के कारण अनावेदकगण ने तहसीलदार भाण्डेर के समक्ष नामांतरण किये जाने बावत संहिता की धारा 109 एवं 110 के तहस इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि अनावेदकगण सरजूबाई के पुत्र है । सरजूबाई का कोई पुत्र नहीं था, इसलिये वह अनावेदकगण के साथ निवास करती थी । सरजूबाई ने दिनांक 03.05.1996 को अनावेदकगण के हित में एक वसीयतनामा निष्पादित कर अनावेदकगण को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया । इसी आवेदन के आधार पर तहसीलदार भाण्डेर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन कराया इस पर आवेदकगण ने दिनांक 24.12.02 आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वे भी मृतक सरजूबाई के वारिसान है। अतः सरजूबाई द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर विवादित भूमि पर नामांतरण किया जावे । तहसीलदार भाण्डेर ने आदेश दिनांक 31.05.2005 को उभयपक्ष का साक्ष्य लेकर विवादित भूमि पर अनावेदकगण का नामांतरण स्वीकार किया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिक़ारी भाण्डेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 271/2004–05/अपील पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 14.10.2005 से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करते

हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2005 स्थिर रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर के उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष पेश की गई । न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्र0 112/2005–06/अपील, पंजीबद्ध किया गया एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को यथावत रखते हुये पारित आदेश दिनांक 31.12.2007 से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 31.12.2007 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया है कि तहसील न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा तथाकथित वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन किया था कि उसके पक्ष में मूल भूमिस्वामी सरजूबाई द्वारा तथाकथित वसीयतनामा संपादित किया था इसलिये सरजूबाई के हिस्से की भूमि पर उनका नामांतरण किया जाये । जबकि आवेदकगण के पक्ष में मूल भूमिस्वामी सरजूबाई ने अंतिम वसीयतनामा संपादित किया था आवेदकगण के पक्ष में अंतिम वसीयतनामा होने से आवेदकगण का वसीयतनामा शून्य था । ऐसी स्थिति में अनावेदकगण के पक्ष में किये जाने का आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटि की थी जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखने में वैधानिक भूल की है जो अपास्त योग्य है । तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में संपादित तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 3.5.1956 का सूक्ष्म परीक्षण नहीं किया । उक्त दस्तावेज में लिखित तथ्यों की ओर ध्यान नहीं दिया मृतक सरजूबाई की पुत्री कमला के चार पुत्रों का उल्लेख उक्त वसीयतनामा में है । इस दृष्टि से देखा जाये तब अनावेदकगण के अलावा अन्य दो वारिस सरजूबाई के और है । वसीयत के दोनों साक्षी के कथन में बताया कि वसीयत लिखते समय अनावेदकगण एवं उसके दो अन्य भाई अशोक व राकेश भी मौजूद थे उक्त कथन इसी से मनगढंत एवं असत्य साबित हो जाते है कि तहसील न्यायालय में

अनावेदकगण द्वारा वसीयत के आधार पर कराये गये नामांतरण की जानकारी उसके भाई अशोक को ज्ञात होने पर उसने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो लंबित है । इससे स्पष्ट है कि अनावेदकगण ने अपने दो भाईयों के जानकारी के बिना कूटरचित वसीयतनामा सरजूबाई के मृत्यु उपरांत तैयार की थी । अनावेदकगण के अन्य दो भाई वसीयत लिखते समय मौके पर उपस्थित नहीं थे जबकि साक्षी उनकी भी मौके पर उपस्थित होना बता रहे है इससे वसीयत स्पष्टयता शंका की परिधि में होकर विचार योग्य नहीं थी । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण, रामनिवास, द्वारकाप्रसाद जो वसीयतनामा दिनांक 15.5.96 के गवाह है तथा वसीयत लेखक कमलेश श्रीवास्तव एडवोकेट के कथनों का अपने आदेश में सही तरीके से विवेचना नहीं की । तहसील न्यायालय एवं अपीली न्यायालयों द्वारा अपने आदेश में इतना उल्लेख करना की साक्षीगण के द्वारा वसीयत प्रमाणित नहीं किया । यह उल्लेख करना कि साक्षी के कथन विरोधाभासी है पर्याप्त नहीं माना जा सकता । आवेदकगण के साक्ष्यों के बावत तहसील न्यायालय का आदेश स्पष्ट नहीं है मौन है । जो तहसील न्यायालय के पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की ओर इंगित करता है इस प्रकार पारित किये गये आदेश को निष्पक्ष नहीं माना जा सकता । प्रस्तुत साक्ष्य में दस्तावेज मतदाता सूची की ओर भी ध्यानाकर्षण नहीं किया जबकि उक्त दस्तावेज अंतिम विनिश्चयन करने में सहायक दस्तावेज था । उक्त मतदाता सूची अनावेदकगण के परिवार की है जिसमें अनावेदकगण की मां का नाम पार्वती आदि है जिससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि अनावेदकगण कमला के पुत्र न होकर पार्वती के पुत्र होने के आधार वारिसान बावत विनिश्चयन तहसील न्यायालय एवं अपीली न्यायालयों द्वारा निर्धारित कर नामांतरण करना उचित नहीं माना जा सकता । आवेदकण के हक में सरजूबाई द्वारा दिनांक 15.05.1996 को वसीयतनामा निष्पादित किया है । आवेदकगण मृतक सरजूबाई के भतीजे रामस्वरूप के पुत्र है । इस प्रकार एक मात्र वारिश आवेदकगण है । आवेदकगण के पक्ष में संपादित वसीयत को वसीयत के गवाह एवं लेखक द्वारा साक्ष्य विधान के अनुसार

सम्यक रूप से प्रमाणित किया है जबकि अनावेदकगण के हक में तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 3.5.96 को निष्पादित होना बताया है जो विधि के अनुक्रम से न तो सम्यक रूप से प्रमाणित है और न ही निष्पादित ही है । कानूनन पश्चातवर्ती वसीयत वैधता की परिधि में आता है । किन्त तहसील न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में अनावेदकगण के तथाकथित वसीयतनामा को सही माना जिसके कोई आधार आलोच्य आदेश में उल्लेखित नहीं । तर्क में यह भी बताया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध में मौजा पिपरौआकलां के पटवारी के कथन नहीं लिया और न ही अभिलेख की नकल प्रस्तुत कराई गई है । जबकि मौके पर आवेदकगण काबिज होकर कृषि कर रहे हैं तथा लगान भी उनके द्वारा अदा किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिसंगत नहीं है पटवारी मौजा के कथन लिया जाना आवश्यक था । पटवारी कथन लिये बिना मौके की वास्तविक स्थिति की जानकारी लिये बिना तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध होकर निरस्तीय योग्य है । विवादित भूमि ग्राम पिपरौआकलां में स्थित है अनावेदकगण द्वारा उक्त ग्राम के किसी व्यक्ति का कथन नहीं कराया । मृतक सरजूबाई की देखभाल, सेवा एवं खुशामद आवेदकगण द्वारा की गई है न की अनावेदकगण द्वारा । अनावेदकगण का मृतक सरजूबाई से कोई रिश्ता या संबंध नहीं है उनके द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए उक्त तथाकथित फर्जी वसीयत तैयार की है । अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तहसील न्यायालय एवं दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को खारिज करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषकओं द्वारा तहसील न्यायालय एवं दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । प्रकरण में भू–धारक सरजूबाई की मृत्यु वर्ष 1996 में होना बताया गया है जबकि उभयपक्ष द्वारा अलग–अलग अपने–अपने पक्ष में वसीयतनामें प्रस्तुत कर वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण का दावा सरजूबाई की मृत्यु के लगभग 6 वर्ष बाद वर्ष 2002 में किया गया है । तहसीलदार व दोनों अपीलीय न्यायालयों ने अनावेदकपक्ष के हित में नामान्तरण किये जाने के आदेश दिये हैं । तहसीलदार एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने अपने आदेश में आवेदक पक्ष के गवाहों का विस्तृत विश्लेषण किया है तथा यह निर्धारित किया है कि आवेदकपक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत वसीयत को सन्देह से परे प्रमाणित नहीं कर पाये है परन्तु उनके द्वारा अनावेदकपक्ष के साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण नहीं करते हुये यह मान्य कर लिया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत वसीयत प्रमाणित हो गयी है जबकि अनावेदक के गवाह महेन्द्र कुमार ने प्रतिपरीक्षण में पहले कहा है कि वसीयतनामा लिखने को किसने कहा, नहीं मालूम । फिर कहा कि अनिल कुमार ने कहा । इसी प्रकार आगे चलकर उसने यह भी कहा है कि सरजूबाई की मृत्यु कब हुई उसको नहीं मालूम । अनावेदकपक्ष के गवाह आपस में रिश्तेदार भी है यह तथ्य भी प्रकाश में आया है । गवाहों के उक्त कथनों से स्पष्ट है अनावेदक अनावेदक भी उनके द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामे को सन्देह से परे प्रमाणित नहीं कर पाये हैं । तहसीलदार न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31–5–2005 को पारित करते समय यह उल्लेख किया है कि बृजकिशोर और अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन पत्र वसीयत प्रमाणीकरण होने से और सरजूबाई की पुत्री के पुत्र होने से स्वीकार किया जाता है। स्पष्ट है कि तहसीलदार वसीयत के संबंध में अपने ही निष्कर्षो से संतुष्ट नहीं थे तथा इसी कारण उन्होनें वसीयत व वारिसान दोनों आधारों को लेकर आदेश पारित किया है ।

6/ प्रकरण में तहसीलदार के द्वारा सरजूबाई की भूमि के सह–खातेदारों को न तो बुलाया गया और न ही उनसे जानकारी लेने का प्रयास किया । वारिसान संबंधी निष्कर्ष पर वह किस आधार पर पहुॅचे इसका भी कोई प्रमाण प्रकरण में उपलब्ध नहीं है क्योंकि उभयपक्ष द्वारा सरजूबाई के वारिसान होने संबंधी तथ्य को प्रकरण में प्रमाणित नहीं किया गया है । इस संबंध में पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 18–5–05 भी उल्लेखनीय है कि जिस पर तहसीलदार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । इस प्रतिवेदन में पटवारी ने स्पष्ट लिखा है कि सरजूबाई की एक पुत्री थी वो भी फौत हो चुकी है उसका अन्य कोई वारिसान की जानकारी नहीं है ।

7/ प्रकरण में अनावेदकपक्ष ने अपने नामान्तरण आवेदन में यद्यपि यह कहा है कि भूमि पर उसका कब्जा है लेकिन उन्होंने वास्तव में उनका उक्त भूमि पर कब्जा है यह प्रमाणित नहीं किया है । और न ही तहसीलदार ने यह जानने का प्रयास किया है कि वर्ष 1996 में सरजूबाई की मृत्यु होने के उपरांत भूमि किसके कब्जे में रही, जबकि इसका निर्धारण करना प्रकरण में किसी निष्कर्ष पर पहुॅचने के लिये आवश्यक था, जो तहसीलदार के द्वारा नहीं किया गया है ।

8/ प्रकरण के उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1996 में सरजूबाई की मृत्यु के उपरांत तहसीलदार को चाहिये था कि वह प्रश्नाधीन भूमि को परित्यक्त भूमि मानते हुये संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत 2 वर्ष के अन्दर खाते को परित्यक्त घोषित कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करना चाहिये थी, परन्तु तहसीलदार अपने उक्त कर्त्यव्यों को करने में असफल रहे हैं । उपरोक्त विवेचना से यह भी प्रमाणित होता है कि उभयपक्ष अपने–अपने वसीयतनामें को सन्देह से परे प्रमाणित नहीं कर पाये है और न ही अपने को सरजूबाई का वारिसान प्रमाणित कर पाये है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–5–2005 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 14–10–2005 एवं अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2007 जिनमें उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी की गई है विधिनुकूल नहीं होने से निरस्त किये जाते हैं । प्रश्नाधीन भूमि का कोई वारिसान नहीं होने के कारण तथा

भूमि लम्बे समय से परित्यक्त होने के कारण संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय घोषित किया जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि वह भू अभिलेखों में भूमि को शासकीय दर्ज करें तथा शासन के पक्ष में उस भूमि का कब्जा प्राप्त करें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर